कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

क्र/चार/रा.वि./न.नि./2026/228 भिलाई दिनांक 09/06/2026

//निविदा/ऑफर आमंत्रण सूचना//

नगर पालिक निगम, भिलाई, उत्तर गंगोत्री व्यवसायिक परिसर, आकाश गंगा व्यवसायिक परिसर एवं प्रगति काम्पलेक्स दुकानो को 30 वर्षीय लीज पर में दिए जाने हेतु" इच्छुक व्यक्तियों से तीन लिफाफा पद्धति से बंद लिफाफे में दिनांक– 25.06.2026, कार्यालयीन समय तक ऑफर आमंत्रित की जाती है। 30 वर्षीय लीज पर उपलब्ध दुकानों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	योजना का नाम	ब्लाक/दुकान क्र./कैफियत	आकार	कलेक्टर गाईडलाईन के अनुसार प्रति व0मी0 बाजार मूल्य	केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छ0ग0 अनुसार निर्मित दुकान का दर 20 वर्ष पुराना निर्मित भवन होने से 20 प्रतिशत छुट सहित मूल्य	कुल प्रीमियम की राशि कॉलम (4+5)×आकार (ऑफसेट मूल्य)	धरोहर राशि
1	2	3	3	4	5	6	7
1	उत्तर गंगोत्री व्यवसायिक परिसर	15/10 अ.ज.जा.	2.80×4= 11.20 व0मी0	90000.00	15495.00	1181544.00	118155.00
2	उत्तर गंगोत्री व्यवसायिक परिसर	19/08 अ.ज.जा.	6×3.80= 22.80 व0मी0	90000.00	15495.00	2405286.00	240529.00
3	उत्तर गंगोत्री व्यवसायिक परिसर	19/17 भूतपूर्व सैनिक	6×3.80= 22.80 व0मी0	90000.00	15495.00	2405286.00	240529.00
4	आकाश गंगा व्यवसायिक परिसर	जी/195	2.75×3.70= 10.175 व0मी0	90000.00	15495.00	1073412.00	107342.00
5	आकाश गंगा व्यवसायिक परिसर	जी/206	2.75×3.70= 10.175 व0मी0	90000.00	15495.00	1073412.00	107342.00
6	आकाश गंगा व्यवसायिक परिसर	जी/207	2.75×3.70= 10.175 व0मी0	90000.00	15495.00	1073412.00	107342.00
7	प्रगति कॉम्पलेक्स	01	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
8	प्रगति कॉम्पलेक्स	02	2.40×4.0= 9.6 व0मी0	90000.00	15495.00	1012752.00	101276.00
9	प्रगति कॉम्पलेक्स	03	2.65×4.0= 10.6 व0मी0	90000.00	15495.00	1118247.00	111825.00
10	प्रगति कॉम्पलेक्स	04	1/2×2.75× 4.0=5.5 व0मी0	90000.00	15495.00	1118247.00	111825.00
11	प्रगति कॉम्पलेक्स	06	3.85×4.0= 15.4 व0मी0	90000.00	15495.00	1624623.00	162463.00
12	प्रगति कॉम्पलेक्स	07	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
13	प्रगति कॉम्पलेक्स	08	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
14	प्रगति कॉम्पलेक्स	09	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
15	प्रगति कॉम्पलेक्स	10	2.40×4.0= 9.6 व0मी0	90000.00	15495.00	1012752.00	101276.00
16	प्रगति कॉम्पलेक्स	11	7.85×3.55+4.0×3.45= 1/2×4.25×4.0=50.16 व0मी0	90000.00	15495.00	5291629.00	529163.00

17	प्रगति कॉम्पलेक्स	12	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
18	प्रगति कॉम्पलेक्स	13	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
19	प्रगति कॉम्पलेक्स	14	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
20	प्रगति कॉम्पलेक्स	15	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
21	प्रगति कॉम्पलेक्स	16	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
22	प्रगति कॉम्पलेक्स	17	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
23	प्रगति कॉम्पलेक्स	18	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
24	प्रगति कॉम्पलेक्स	19	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
25	प्रगति कॉम्पलेक्स	20	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
26	प्रगति कॉम्पलेक्स	21 अ.ज.जा	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
27	प्रगति कॉम्पलेक्स	22 अ.ज.	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
28	प्रगति कॉम्पलेक्स	23 बेरोजगार	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
29	प्रगति कॉम्पलेक्स	24	3.85×4.0= 15.4 व0मी0	90000.00	15495.00	1624623.00	162463.00
30	प्रगति कॉम्पलेक्स	25	3.65×4.0= 14.6 व0मी0	90000.00	15495.00	1540227.00	154023.00
31	प्रगति कॉम्पलेक्स	26	2.40×4.0= 9.6 व0मी0	90000.00	15495.00	1012752.00	101276.00
32	प्रगति कॉम्पलेक्स	27	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00

लिफाफा **''आयुक्त नगर पालिक निगम आकाश गंगा सुपेला जी.ई. रोड भिलाई पिन कोड–490023''** पते पर **स्पीड पोस्ट/रजिस्टर डाक के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा।** आवेदन/लिफाफा सीधे कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जावेगा। लिफाफा निर्धारित तिथि के उपरांत अगले कार्यदिवस पर ऑफरकर्ताओ/निविदाकार/प्रतिनिधिं के समक्ष खोला जावेगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित **दुकान का स्थल एवं क्रमांक, दुकान का आकार के साथ–साथ आवेदन का वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य)** का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क राशि रू. 100/– मात्र जमा कर कार्यालयीन समय में **राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम आकाश गंगा सुपेला जी.ई. रोड भिलाई** में निर्धारित प्रारूप में आवेदन तथा नियम शर्तो की प्रति प्राप्त की जा सकती है। जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 23.06.2026 है। आमंत्रित ऑफर आमंत्रण सूचना की विस्तृत एवं वर्गवार दुकानों के आरक्षण की जानकारी नगर पालिक निगम, भिलाई के वेब साईट **https://bhilainagarnigam.com/** एवं संचालनालय के वेब साईट **uad.cg.gov.in** से **दिनांक** 23.06.2026 तक डाउनलोड की जा सकती है।

आयुक्त
नगरपालिक निगम
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

नीलामी द्वारा दुकान आबंटन की शर्ते

दुकान की नीलामी अधिकतम प्रब्याजी राशि के लिये की जावेगी। यह राशि अहस्तांतरणीय या वापसी योग्य नहीं होगी तथा 30 वर्षीय पटटे पर दी जावेगी। नीलामी की स्वीकृति और दुकान के आबंटन के पश्चात नीचे लिखे नियमों के अनुसार आवंटिती को दुकान का प्रतिमाह किराया देना होगा।

:– नीलामी की प्रक्रिया निम्नांकित अनुसार होगी :–

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को चाहिये कि वे दुकान का मुआयना कर लें और नीलामी तथा आबंटन की सभी शर्ते पढ़कर समझ लें। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति के संबंध में यह माना जावेगा कि उन्होने नीलामी और आबंटन की सभी शर्तो को पढकर समझ लिया है।
2. नीलामी के पूर्व भाग लेने वाले व्यक्ति को निर्धारित धरोहर राशि एफ.डी.आर के माध्यम से जमा करनी होगी
3. परिसर में एक व्यक्ति को मात्र एक दुकान आबंटन की पात्रता होगी।
4. नीलामी के पूर्व प्रत्येक दुकान के लिए निगम द्वारा सरकारी बोली निर्धारित की गई है। इस राशि से अधिक की राशि के लिए ही नीलामी की जावेगी।
5. एक तिहाई राशि नीलामी के बाद जमा करने में असमर्थ रहते है, तो उनकी धरोहर राशि निगम कोष में राजसात कर ली जावेगी।
6. बिना कोई कारण बताये नीलामी को स्वीकार करने या न करने का अधिकार निगम को होगा।
7. नीलामी की स्वीकृती की सूचना आबंटिती को दी जावेगी। नीलामी की स्वीकृति की सूचना पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रब्याजी की शेष राशि जमा करना अनिवार्य होगा। यदि इस अवधि में उक्त राशि जमा नहीं की गई तो निगम को अधिकार होगा कि जमा की गई समस्त राशि निगम कोष में राजसात कर ऑफर निरस्त कर दें।
8. निगम के आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत नीलामी प्रभारी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी दुकान की नीलामी किसी स्तर पर रोक सकेगें उनके लिये यह आवश्यक नही होगा कि समस्त उद्घोषित दुकानों की नीलामी करें।
9. सुरक्षित कोटे के दुकान के लिये नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्याशी के लिये आवश्यक होगा कि वे पात्रता के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र नीलामी के पूर्व जमा करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति से कलेक्टर द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांगता की स्थिति में सिविल सर्जन और भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में वित्त मंत्रालय भारत सरकार या कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अधिमान्य होगा।
10. विभिन्न दुकान का क्रमांक, आकार और मासिक किराया निम्नांकित अनुसूची में वर्णित है:–

क्र.	योजना का नाम	ब्लाक / दुकान क्र. / कैफियत	आकार	कलेक्टर गाईडलाईन के अनुसार प्रति व0मी0 बाजार मूल्य	केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छ0ग0 अनुसार निर्मित दुकान का दर 20 वर्ष पुराना निर्मित भवन होने से 20 प्रतिशत छुट सहित मूल्य	कुल प्रीमियम की राशि कॉलम (4+5)×आकार **(ऑफसेट मूल्य)**	धरोहर राशि
1	2	3	3	4	5	6	7
1	उत्तर गंगोत्री व्यवसायिक परिसर	15 / 10 अ.ज.जा.	2.80×4= 11.20 व0मी0	90000.00	15495.00	1181544.00	118155.00
2	उत्तर गंगोत्री व्यवसायिक परिसर	19 / 08 अ.ज.जा.	6×3.80= 22.80 व0मी0	90000.00	15495.00	2405286.00	240529.00
3	उत्तर गंगोत्री व्यवसायिक परिसर	19 / 17 भूतपूर्व सैनिक	6×3.80= 22.80 व0मी0	90000.00	15495.00	2405286.00	240529.00
4	आकाश गंगा व्यवसायिक परिसर	जी / 195	2.75×3.70= 10.175 व0मी0	90000.00	15495.00	1073412.00	107342.00
5	आकाश गंगा व्यवसायिक	जी / 206	2.75×3.70=	90000.00	15495.00	1073412.00	107342.00

	परिसर		10.175 व0मी0				
6	आकाश गंगा व्यवसायिक परिसर	जी / 207	2.75×3.70= 10.175 व0मी0	90000.00	15495.00	1073412.00	107342.00
7	प्रगति कॉम्पलेक्स	01	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
8	प्रगति कॉम्पलेक्स	02	2.40×4.0= 9.6 व0मी0	90000.00	15495.00	1012752.00	101276.00
9	प्रगति कॉम्पलेक्स	03	2.65×4.0= 10.6 व0मी0	90000.00	15495.00	1118247.00	111825.00
10	प्रगति कॉम्पलेक्स	04	1/2×2.75× 4.0=5.5 व0मी0	90000.00	15495.00	1118247.00	111825.00
11	प्रगति कॉम्पलेक्स	06	3.85×4.0= 15.4 व0मी0	90000.00	15495.00	1624623.00	162463.00
12	प्रगति कॉम्पलेक्स	07	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
13	प्रगति कॉम्पलेक्स	08	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
14	प्रगति कॉम्पलेक्स	09	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
15	प्रगति कॉम्पलेक्स	10	2.40×4.0= 9.6 व0मी0	90000.00	15495.00	1012752.00	101276.00
16	प्रगति कॉम्पलेक्स	11	7.85×3.55+4. 0×3.45= 1/2×4.25×4. 0=50.16 व0मी0	90000.00	15495.00	5291629.00	529163.00
17	प्रगति कॉम्पलेक्स	12	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
18	प्रगति कॉम्पलेक्स	13	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
19	प्रगति कॉम्पलेक्स	14	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
20	प्रगति कॉम्पलेक्स	15	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
21	प्रगति कॉम्पलेक्स	16	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
22	प्रगति कॉम्पलेक्स	17	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
23	प्रगति कॉम्पलेक्स	18	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
24	प्रगति कॉम्पलेक्स	19	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
25	प्रगति कॉम्पलेक्स	20	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
26	प्रगति कॉम्पलेक्स	21 अ.ज.जा	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
27	प्रगति कॉम्पलेक्स	22 अ.ज.	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
28	प्रगति कॉम्पलेक्स	23 बेरोजगार	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00
29	प्रगति कॉम्पलेक्स	24	3.85×4.0= 15.4 व0मी0	90000.00	15495.00	1624623.00	162463.00

30	प्रगति कॉम्पलेक्स	25	3.65×4.0= 14.6 व0मी0	90000.00	15495.00	1540227.00	154023.00
31	प्रगति कॉम्पलेक्स	26	2.40×4.0= 9.6 व0मी0	90000.00	15495.00	1012752.00	101276.00
32	प्रगति कॉम्पलेक्स	27	2.75×4.0= 11 व0मी0	90000.00	15495.00	1160445.00	116045.00

11. नीलामी की स्वीकृति की सूचना जारी होने की तिथि से 60 दिनो के भीतर अपने व्यय पर दुकान का पंजीयन कराना होगा। यह पंजीयन प्रब्याजी की स्वीकृति राशि और किराया की राशि के लिये होगा और इसका स्टाम्प तथा पंजीयन का समस्त व्यय आबंटिती को वहन करना होगा।
12. यदि स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर पंजीयन कराने में असमर्थ रहते है या पंजीयन हेतु कुछ समय चाहते है तो उन्हें विलंब शुल्क देना होगा जो कि एक माह या उसके भाग के विलंब के लिये दुकान के किराये की राशि तथा उस पर दस प्रतिशत अधिभार को मिलाकर होगी। विलंब शुल्क नीलामी स्वीकृति पत्र जारी होने के 60 दिन के बाद आने वाली पहली तिथि से प्रारंभ होगा और प्रतिमाह या उसके अंश पर देय होगा किन्तु हर हालत में स्वीकृति की सचना जारी होने के 180 दिनों के भीतर दुकान का पंजीयन कराना होगा तथा इस संबंध में पंजीयन न कराये जाने की स्थिति में जमा की गई धरोहर राशि और सुरक्षा राशि निगम कोष में राजसात कर दी जावेगी और प्रब्याजी की राशि वापस कर ऑफर निरस्त कर दिया जावेगा ।
13. पंजीयन की तिथि 15 दिनों के भीतर आधिपत्य पत्र जारी किया जावेगा। आधिपत्य पत्र आबंटिती को भेजा जावेगा। आधिपत्य पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर दुकान का कब्जा लेना अनिवार्य होगा। यदि इस अवधि में कब्जा प्राप्त नहीं किया जाये तो भी यह जाना जावेगा कि अवधि की समाप्ति के दूसरे दिन से आबंटिती के कब्जे में दुकान आ गई है और तिथि से पश्चात आने वाले कैलेंडर माह की पहली तारीख को दुकान का किराया प्रारंभ हो जावेगा।
14. आधिपत्य पत्र जारी होने के 10 दिनों के भीतर आबंटित दुकान में व्यवसाय प्रारंभ करना होगा। यदि आबंटिंती, ऐसा करने में असमर्थ रहते है या किसी कारण से इस समयावधि में वृद्धि चाहते हैं तो उक्त आशय का लिखित आवेदन देकर और किराये की राशि में 25 अधिभार देकर आधिपत्य पत्र जारी होने की तिथि से कुल 150 दिनों का समय प्राप्त कर सकते है किन्तु अधिभार की राशि अग्रिम रूप से जमा करना होगा। इस अवधि में व्यवसाय प्रारंभ या चालु नहीं करने पर आबंटन निरस्त कर प्रब्याजी की संपूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी और आबंटन निरस्त कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में आबंटिती का कोई दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगी।
15. दुकान का आबंटन किरायेदारी पर मूलतः 30 वर्षों के लिये होगा इसके पश्चात किरायेदारी पुनः आगे बढ़ाये जाने का विचार करने का अधिकार निगम को होगा दुकान को किरायेदारी 30 वर्षो की अवधि के बाद हटाये जाने की स्थिति में अतिरिक्त शर्ते और शुल्क निर्धारित करने का अधिकार, निगम को होगा दुकान कि किरायेदारी आधिपत्य की तिथि के बाद प्रारंभ होने वाले कलेंडर माह की पहली तारीख से प्रारंभ माना जावेगा। किरायेदारी के प्रारंभ होने की तिथि से प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात मासिक किराया की राशि में दस प्रतिशत वृद्धि की जावेगी ।
16. दुकान का मासिक किराया प्रतिमाह पहली कैलैंडर तारीख से देय हो जावेगा जिन्हें आबंटिती को उसी माह की 15 तारीख तक निगम कोष में बैंक ड्राफ्ट या नगद रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। किराया जमा करने के लिये निगम के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह नोटिस या अपील देवें। किराये माह की तिथि के 15 तारीख के पश्चात जमा किये जाने वाले किराये पर प्रति माह किराये का पांच प्रतिशत अधिभार के रूप में देना होगा। किन्तु किसी समय तीन माह का. किराया अवशेष पाया गया तो निगम को अधिकार होगा कि 15 दिनों का नोटिस जारी कर किरायेदारी से समाप्त कर सकेंगे, और प्रब्याजी की संपूर्ण राशि निगम कोष में राजसात कर दुकान का आबंटन निरस्त कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में आबंटिती के लिये यह बंधनकारी होगा कि वह दुकान का खाली कब्जा ऐसी सूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर निगम को सौंप दे और भवन यथास्थिति में जैसा उसे आधिपत्य में दिया गया था। यदि आबंटिती ऐसा करने में असमर्थ रहा तो निगम के लिये यह विधिसंगत होगा कि वह खाली कब्जा प्राप्त कर लेवें। इस संबंध में कोई दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगी।

17. आबंटिती दुकान या उसके किसी भाग में निगम की बिना अनुमति के किसी को किराया उप किराये में नहीं दे सकेगा। यदि ऐसा करता पाया गया तो दुकान की आबंटन निरस्त कर प्रब्याजी की संपूर्ण राशि निगम को राजसात करने का अधिकार निगम को होगा।
18. यदि आबंटिती दुकान का हस्तांतरण/ब्रिक्री उपहार या अन्य किसी कारण से किसी अन्य व्यक्ति को करना चाहता है तो उक्त आशय का आवेदन प्रस्तुत करे और स्वीकृति प्राप्त कर निर्धारित राशि जमा करने के उपरांत ऐसा हस्तांतरण कर सकेगा। हस्तांतरण के लिये मासिक किराया के दस गुना बराबर राशि शुल्क के रूप में देना होगा। इस प्रकार का हस्तांतरण स्वीकार करने या न करने का अधिकार निगम को होगा दुकान का हस्तांतरण हस्तांतरिती आबंटित को आबंटन की शेष अवधि के लिये मूल शर्तों के और ऐसे समस्त शर्तो जो निगम लागू करना चाहे के अधीन मानी जावेगी और इस प्रकार के हस्तांतरण का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
19. दुकान या परिसर के किसी भी भाग में स्थाई या अस्थाई निर्माण करने, निर्माण हटाने का कार्य आबंटिती निगम के पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना नहीं करेगा आबंटिती स्थान का उपयोग निर्धारित व्यवसाय मात्र के लिये करेगा। इस स्थान में ऐसा आपत्तिजनक पदार्थों का उपयोग न ही स्वंय करेगा और न ही उपयोग करने का कारण बनेगा जो अन्य आबंटिती या जन सामान्य को संत्रास पहुंचाये और जिससे जन सुरक्षा आवागमन तथा भवन के उपयोग में बाधा पहुंचे। बरामदे और आवागमन के स्थान में आबंटिती अपना सामान फर्नीचर या विज्ञापन करने के लिये ना ही उपयोग करेगा और संधारण सफाई एवं स्वच्छता का दायित्व आबंटिती पर होगा। आबंटिती दुकान के किसी भी और अन्याक्रांति नहीं करेंगें और न होने देंगे। यदि अन्याक्रांति करना या होना पाया गया तो आबंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
20. आबंटिती द्वारा आबंटन के किसी/किन्हीं शर्तो/शर्तों के उल्लंघन होने पर निगम को अधिकार होगा कि वह 15 दिनों का नोटिस देकर आबंटन निरस्त कर दें और दुकान का खाली कब्जा वापस प्राप्त कर सकेगा। किन्तुं निगम को अधिकार होगा कि ऐसे अधिकारों का प्रयोग नहीं करने की एवज में प्रतिदिन रु. 100/– सौ रूपये मात्र का मुआवजा आबंटिती से प्राप्त कर आबटन जारी रखें। निगम को अधिकार होगा कि इस आबंटन के संदर्भ में देय राशि की वसूली छ.ग. निगम आधिनियम 1956 के अंतर्गत बकाया कर के रूप में करें।
21. निगम द्वारा शासन से स्वीकृति प्राप्त की जावेगी। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह माना जावेगा की उस संपत्ति के पट्टे का अधिकार नियमानुसार प्राप्त होगा। यदि शासन ने स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तब तक संबंधित भूमि दुकान/भवन को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा एवं बिना ब्याज क्षतिपूर्ति के जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा कोई दावा निगम द्वारा मान्य नहीं होगा।
22. निगम इस संबंध में समय–समय पर जो भी नियम बनाये जावेगें, लागू होगा।
23. सशर्त नीलामी मान्य नहीं की जावेगी।
24. संपूर्ण नीलामी के अंश को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत करने या ना करने का अधिकार निगम के आयुक्त को होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई